न्यायालय– मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बेतिया

बेतिया मुफ्फसिल –278/2021, सी.आई.एस सं0. 1627/2021

दिनांक–06.09.2021

बेतिया मुफ्फसिल थाना कांड संख्या–278/2021 के अन्तर्गत दिनांक 19.07.2021 से कारांबदी अभियुक्त अब्दुल रहमान की ओर से उनके जमानत आवेदन को संचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता की ओर से कथन किया गया कि वह निर्दोष हैं। उसे इस वाद में झूठा फंसाया गया हैं। आवेदक का कोई अपराधिक घटना नहीं है। आवेदक द्वारा कोई दूसरा जमानत आवेदन किसी अन्य न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया हैं। वह न्यायालय के संतुष्टि के आधार पर किसी भी राशि का बंधपत्र देने को तैयार हैं। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाय। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान जिला अभियोजन पदा0 को प्रदान की गयी।

विद्वान जिला अभियोजन पदाधिकारी की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

सूचिका रेजा प्रविन के लिखित आवेदन में वर्णित अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 25/12/2016 को सूचिका रेजा प्रविन की शादी सुल्तान उर्फ दिलशाद उर्फ खुर्शीद आलम के साथ इस्लामी रीति रिवाज के अनुसार शादी हुई, शादी के कुछ दिन बाद सूचिका के पति तथा ससुराल वाले ने चार पहिया की मांग कर रहे थे तथा नही देने पर सूचिका के साथ मारपीट किये। दिनांक 18/12/2018 को सूचिका को घर से बाहर निकाल दिये और धमकी भी दिये कि अब तुम आएगी तो तुम्हें जिंदा जलाकर मार देंगे और तुम्हारे घर परिवार वाले मेरा कुछ नही बिगाड. सकते। सूचिका अपने पिता के घर में रहती है तथा सूचिका अपने ससुराल वाले के प्रताड.ना के कारण वह हमेशा बीमार रहती है तथा सूचिका का वर्तमान में ईलाज चल रहा है, ईलाज के दौरान सूचिका के पति दिनांक 03/01/2021 को बिना सूचिका के सहमति के दूसरी शादी कर लिये है, जो पहली पत्नी के रहते हुऐ दूसरी पत्नी से शादी करना गैर कानूनी है, सूचिका के पति फोन पर समय करीब 08:00 बजे सूचिका को तीन तलाक दे दिये। जिससे सूचिका को मानसिक रूप से आघात पहुॅचा। दिनांक 12/02/2021 को सूचिका अपने पिता एवं भाई अरशद आलम, भतीजा अहद के साथ अपने ससुराल गयी तो वहॉ पर सूचिका के ससुराल में उपस्थित पति सुल्तान उर्फ दिलशाद उर्फ खुर्शीद आलम, अब्दुल रहमान, नाजरा खातून, मो0 कुर्बान, रिजवान आलम, मो0 नौशाद, मो0 सोनू, मो0 अफरोज उपरोक्त सभी ने मिलकर सूचिका तथा उसके पिता एवं अन्य लोगो के साथ मारपीट, गाली गलौज किया और सूचिका के पति ने तीन तलाक देकर दूसरी शादी कर लिया अब वे सूचिका को नही रखेगें । सूचिका वर्तमान में अपने ननिहाल में रह रही है तथा वहॉ जाने पर उसके मामा अफरोज आलम भी सूचिका के साथ मारपीट, गाली गलौज, कर रहे थे।

उभय पक्षों को सुना एवं वाद अभिलेख का अवलोकन किया। वाद अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है। इस वाद में भा0 द0 वि0 की धारा 323, 494, 498ए 504, 504/34 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं धारा 3/4 मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक, 2019 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी है, जिसमें भा0 द0 वि0 की धारा 494, 498ए/34 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं धारा 3/4 मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक, 2019 अजमानतीय है। सूचिका ने आवेदक अभियुक्त पर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर मारपीट, गाली गलौज एवं दूसरी शादी करने का आरोप लगाया है। आवेदक अभियुक्त पर लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति का एवं अजमानतीय है। अतः अपराध की गंभरीता को देखते हुये यह न्यायालय आवेदक अभियुक्त को जमानत कि सुविधा का लाभ देना न्यायोचित नहीं समझती है, तदनुसार आवेदक अभियुक्त कि ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन दिनांक 04.09.2021 खारिज किया जाता है।

लेखापित

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी